शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र./रा.शि.के./मूल्याकंन/स्थानीय परीक्षा/2022–23/1886 भोपाल, दिनांक 04.04.23

अतिमहत्वपूर्ण

प्रति,

कलेक्टर,
समस्त जिले (म.प्र.)

विषय– स्थानीय वार्षिक परीक्षा सत्र 2022–23 (कक्षा 3, 4, 6 व 7) को संशोधित समय–सारणी अनुसार कराने विषयक।

संदर्भ– रा.शि.के. का पत्र क्र./वार्षिक मूल्यांकन/2022–23/1133, दिनांक 22.02.2023

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा स्थानीय परीक्षा सत्र 2022–23 कक्षा 3, 4, 6 एवं 7 हेतु समय–सारणी जारी की गई थी। कुछ जिलों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि कतिपय कारणों से प्रश्नपत्र सह उत्तरपुस्तिकाओं के मुद्रण में विलंब हुआ है। अतः पूर्व निर्धारित समय–सारणी अनुसार परीक्षा आयोजित करने में कठिनाई होगी। अतः **समय–सारणी** को संशोधित किया जा रहा है। समस्त जिलों को सूचित किया जाता है कि संशोधित समय सारणी अनुसार स्थानीय वार्षिक परीक्षा (कक्षा 3,4,6,7) का आयोजन दिनांक 08.04.2023 से 15.04.2023 की अवधि में कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन शालाओं को स्थानीय परीक्षा के प्रश्नपत्रों के पैकेट प्राप्त हो चुके हैं उन पर पूर्व में जारी समय–सारणी अनुसार तिथियाँ अंकित होंगी। अतः प्रश्नपत्रों के पैकेट पर संशोधित समय–सारणी अनुसार तिथियों को परिवर्तित कर लिया जावे ताकि प्रश्नपत्रों की गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके।

संलग्न– संशोधित समय–सारणी।

04/04/2023

(धनराजू एस.)
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

निरंतर ....

क्र./रा.शि.के./मूल्यांकन/वार्षिक मूल्यांकन/2022–23/1887 भोपाल, दिनांक 04.04.23

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन।
2. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन।
3. प्रमुख सचिव, जन सम्पर्क विभाग, म.प्र. शासन।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र.।
5. कलेक्टर, समस्त जिले म.प्र.।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले म.प्र.।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग म.प्र.।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले म.प्र.।
9. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, समस्त जिले म.प्र.।
10. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जिले म.प्र.।
11. समस्त संकुल प्राचार्य, शा. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, म.प्र.।
12. बी.आर.सी.सी., समस्त विकासखण्ड म.प्र.।
13. आई.सी.टी. कक्ष राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल, अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

04/04/2023

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

परिशिष्ट–1

वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2022–23 (कक्षा 3, 4, 6 व 7) हेतु संशोधित समय–सारिणी

कक्षा–3 व 4				समयः सुबह 9:00 से 11:30 तक			
कक्षा	15-03-23 (बुधवार)	08.04.23 (शनिवार)	10.04.23 (सोमवार)	11.04.23 (मंगलवार)	12.04.23 (बुधवार)	13.04.23 (गुरूवार)	15.04.23 (शनिवार)
3	विषय शिक्षक द्वारा प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण करने संबंधी आवश्यक निर्देश प्रदाय करना	प्रथम भाषा– विशिष्ट (हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/मराठी)	पर्यावरण अध्ययन	द्वितीय भाषा– सामान्य अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम को छोड़कर) अथवा सामान्य हिन्दी (जिनकी प्रथम भाषा अंग्रेजी है।)	गणित अथवा संगीत (दृष्टिबाधितों हेतु)	अतिरिक्त भाषा– सामान्य उर्दू/हिन्दी/अन्य आधुनिक भारतीय भाषा	–
4		पर्यावरण अध्ययन	प्रथम भाषा– विशिष्ट (हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/मराठी)	गणित अथवा संगीत (दृष्टिबाधितों हेतु)	द्वितीय भाषा– सामान्य अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम को छोड़कर) अथवा सामान्य हिन्दी (जिनकी प्रथम भाषा अंग्रेजी है।)	अतिरिक्त भाषा– सामान्य उर्दू/हिन्दी/अन्य आधुनिक भारतीय भाषा	–
कक्षा 6 व 7				समयः सुबह 9:00 से 11:30 तक			
कक्षा	15-03-23 (बुधवार)	08.04.23 (शनिवार)	10.04.23 (सोमवार)	11.04.23 (मंगलवार)	12.04.23 (बुधवार)	13.04.23 (गुरूवार)	15.04.23 (शनिवार)
6	विषय शिक्षक द्वारा प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण करने संबंधी आवश्यक निर्देश प्रदाय करना	गणित/संगीत (दृष्टिबाधितों हेतु)	तृतीय भाषा– संस्कृत/सामान्य हिन्दी/उर्दू/मराठी/पंजाबी/उड़िया/अन्य अथवा चित्रकला (मूक–बधिरों हेतु)	सामाजिक विज्ञान	विज्ञान	प्रथम भाषा– विशिष्ट हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/मराठी (सहायक वाचन सहित)	द्वितीय भाषा– सामान्य अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम को छोड़कर) अथवा सामान्य हिन्दी (जिनकी प्रथम भाषा अंग्रेजी है)
7		विज्ञान	प्रथम भाषा– विशिष्ट हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/ मराठी (सहायक वाचन सहित)	द्वितीय भाषा– सामान्य अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम को छोड़कर) अथवा सामान्य हिन्दी (जिनकी प्रथम भाषा अंग्रेजी है)	सामाजिक विज्ञान	तृतीय भाषा– संस्कृत/सामान्य हिन्दी/उर्दू/मराठी/ अन्य आधुनिक भारतीय भाषा अथवा चित्रकला (मूक–बधिरों हेतु)	गणित/संगीत (दृष्टिबाधितों हेतु)

नोट–दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधान अनुसार निःशक्त विद्यार्थियों को मूल्यांकन निर्देशानुसार अतिरिक्त समय/लेखक अनिवार्यतः प्रदान किया जाए। प्रोजेक्ट कार्य सुविधानुसार शाला समय में ~~/घर में~~ कराया जा सकेगा।

5/4/23

नियंत्रक/~~समन्वयक~~
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल